भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1072
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट"

1072. **श्री एम. के. राघवन:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्यम और निम्न-आय समूहों के बीच बीमा पैठ को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीमा पॉलिसियों की वहनीयता और पहुंच पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरें और रियायतें जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है तथा जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों की सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी के मामले को 9 सितम्बर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मामलों पर समग्र रूप से विचार करने हेतु मंत्रियों के एक समूह (जीआएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक ने जीओएम की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष रखने के लिए और समय मांगा। परिषद ने जीओएम को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने पर सहमति जताई।

(ग) और (घ): समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांग जनों की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम-जेएवाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जीएसटी से छूट दी गई है। ये योजनाएं बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को सम्मिलित करती हैं, जिन्हें जीएसटी छूट का लाभ मिलता है। उदाहरण स्वरूप, आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) योजना की शुरूआत से अब तक 36.5 करोड़* से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जैसी विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसियां भी जीएसटी से छूट प्राप्त हैं। इन योजनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें जीएसटी छूट का लाभ मिलता है।

प्रधामनंत्री जीवन जयोति बीमा योजना के तहत 20 करोड़** से अधिक नामांकन हुए हैं। ये पॉलिसियां मुख्यत: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बीमा कवरेज प्रदान कर रही हैं।

*स्रोत: पीएमजेएवाई डैशबोर्ड (https://dashboard.pmjay.gov.in)

**स्रोत: डीएफएस डैशबोर्ड (https://dfs.dashboard.nic.in)

*****